न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 607/2022

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. जवानाराम पुत्र गोकलराम 2. बागाराम पुत्र गोकलराम 3. भानाराम पुत्र गोकलराम के का0मु0– 3/1 जालाराम पुत्र भानाराम 3/2 ढलाराम पुत्र भानाराम 3/3 पानी पुत्री भानाराम 3/4 गजरा पुत्री भानाराम 3/5 लूणी पत्नी भानाराम 4. ओमाराम पुत्र गोकलराम 5. प्रेमाराम पुत्र गोकलराम 6. सोहन पुत्र स्व0 राजूराम 7. महेन्द्र पुत्र स्व0 राजूराम (जातियान जाट, निवासी ग्राम भाण्डू, तहसील लूणी, जिला जोधपुर)		1. हीराराम पुत्र खरताराम 2. गुणेशराम पुत्र खरताराम 3. बागाराम पुत्र खरताराम 4. भलाराम पुत्र खरताराम 5. गोमाराम पुत्र खरताराम के का0मु0– 5/1 हडमानराम पुत्र गोमाराम जाट निवासी ग्राम रोहिला भाण्डू, तह0 झंवर, जिला जोधपुर 6. भगाराम पुत्र पुनाराम 7. चैनाराम पुत्र पुनाराम (सभी जाति जाट, निवासी ग्राम भाण्डू, तहसील लूणी, जिला जोधपुर) 8. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार लूणी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी लूणी (जोधपुर), राजस्व प्रकरण सं0 344ए/2021 दिनांक 23.10.2021

उपस्थित–
1. श्री हनुमान प्रजापति, वकील अपीलांट
2. श्री प्रकाश राणावत वकील अपीलांट सं0 3/1 से 3/5
3. श्री नवीन शर्मा, ओमप्रकाश विश्नोई वकील रेस्पो0सं0 1 से 4, 5/1
4. श्री महेन्द्र डूडी, पीराणे खान वकील रेस्पो0सं0 6 व 7
5. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 8 की ओर से

निर्णय

दिनांक 15 .05.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलांट्स ने लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी लूणी (जोधपुर) द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 344ए/2021 बअनवान हीराराम वगैरा बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 23.10.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

प्रस्तुत अपील में अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई, जो प्राप्त नही हुई। दिनांक 19.01.2026 को रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

सीपीसी का प्रस्तुत कर हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आलौच्य आदेश से संबंधित प्रमाणित प्रतिलिपी/दस्तावेज के आधार पर अंतिम बहस सुनी जाकर प्रकरण निस्तारित करने का आग्रह किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र प्रति वकील अपीलांट को उपलब्ध करवायी गई, जिनके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर नो–आब्जेक्शन अंकित किया गया। अतः दोनो पक्षों की सहमति पर हस्तगत अपील में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अंतिम बहस सुनी गई।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 केम्प भाण्डु कल्ला में रेस्पो0–प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम रोहिला भाण्डू के ख0नं0 32 व 58 की भूमि पूर्व में हरचन्द पुत्र मोतीराम के नाम दर्ज थी। जिसका बंटवारा हरचंद के जीवनकाल में चार पुत्रों के मध्य कर दिया गया तथा बंटवारा आदेश दिनांक 9.4.75 द्वारा नामान्तरकरण संख्या 34 ग्राम रोहिला भाण्डू दर्ज किया गया। जिसमें ख0नं0 32 की भूमि खीयाराम पुत्र हरचंद एवं ख0नं0 58 की भूमि खरताराम पुत्र हरचंद के नाम दर्ज हुई एवं एवं भाण्डू कल्ला की भूमि गोकलराम व जयरूपराम के बंट में आई। परंतु वर्तमान में खरताराम व खीयाराम का नाम हटा कर हरचन्द के भी वारिसान का नाम दर्ज कर लिया, जिसे दुरूस्त करने का आग्रह किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसे तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार कर, अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.10.2021 द्वारा ग्राम रोहिला भाण्डू के ना0क0सं0 34 की पालना में ख0नं0 32 में खीयाराम का नाम व ख0नं0 58 में खरताराम दुरूस्त कर, इन दोनो खातेदार के फौत हो जाने के कारण इनके वारिसान की जांच कर, सभी विधिक वारिसान का नाम दर्ज करने हेतु तहसीलदार लूणी को आदेशित किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट ने राज. भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे न्याय हित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

हमने दोनों पक्षों की अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान्न सुनवाई अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश में वर्णित ख0नं0 32 रकबा 18.15 बीघा एवं ख0नं0 58 रकबा 28 बीघा कुल रकबा 46.15 बीघा राजस्व रेकर्ड में अपीलांट एवं

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

रेस्पो0 के नाम सह–खातेदारी में दर्ज रही है। अपीलांट उक्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार है, परंतु आलौच्य प्रकरण में उन्हें सुनवाई का अवसर दिये बिना राजस्व केम्प में एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित कर, राजस्व रेकर्ड से अपीलांट का नाम हटा दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 आरएलआर एक्ट के अन्तर्गत आता है, जिसमें स्पष्टतः हितबद्ध पक्षकारों को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर कार्यवाही करने के प्रावधान है। धारा 136 लिपिकीय त्रुटी तक ही सिमित अधिकार देती है, जबकि अपीलार्थी का नाम लिपिकीय त्रुटी की श्रेणी में नही है। अपीलांट का नाम बहैसियत अपने पिता के काल से इन्द्राज चला आ रहा है। अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि अपीलांट के पिता के नाम दर्ज रही तथा उसके बाद ना0क0सं0 64 दिनांक 07.06.1993 मजमे आम पारित कर अपीलांट का नाम दर्ज किया गया, जो निरंतर चला आ रहा है। उक्त ना0क0सं0 64 को कभी किसी रूप में चुन्नौति नही दी गई है। जिसके प्रभावी रहते गलत रूप से धारा 136 आरएलआर एक्ट के तहत अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया।

अपीलाधीन आदेश ना0क0सं0 34 को आधार मानते हुए पारित किया गया है, जो कि पूर्णतः गलत व विधि विरूद्ध है। जिसकी जानकारी होते ही अपीलांट ने उक्त ना0क0 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी लूणी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी है, जो जवानराम बनाम धीराराम के नाम से विचाराधीन है। जिसमें रेस्पो0 उपस्थित होकर पैरवी कर रहे है व उक्त ना0क0 सब्ज्यूडिश है। इस कारण ना0क0सं0 34 के आधार पर कोई कार्यवाही की जाना कानूनी रूप से गलत है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार से जो रिपोर्ट पेश हुई, उसमें ना0क0सं0 64 के आधार पर वर्तमान प्रविष्टि होने का अंकन है, परंतु ना0क0सं0 64 के प्रभावी रहते मनमाने तौर पर उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी नही करते हुए धारा 136 के तहत आदेश पारित कर दिया गया, जो विधिविरूद्ध होने के कारण अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0 अधिवक्ता ने लिखित बहस में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया गया कि वस्तुतः तहसील लूणी स्थित ग्राम रोहिला तथा भाण्डू कलां में हरचन्द की रेकर्डेड खातेदारी भूमियां आई हुई थी। हरचंद के चार पुत्र खीयाराम, खरताराम, गोकुलराम तथा जयरूपराम हुए। हरचंद द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी खातेदारी भूमियों को अपने चारों पुत्र के मध्य आपस में तीन बंटवारा विलेख दिनांक 02.05.1972 व 03.05.1972 को निष्पादित करते हुए तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

किया गया। जिसकी विधिवत जांच एवं संपूर्ण प्रकिया उपरांत हरचन्द के पुत्रों के नाम तीन अलग–अलग नामान्तरकरण दर्ज किये गये। जिसमें भाण्डूकलां की भूमियों के बाबत ना0क0सं0 97 एवं 98 दिनांक 21.06.1975 दर्ज कर, उक्त स्वीकृत ना0क0 के अनुसार अगली जमाबंदी में हरचन्द के स्थान पर उनके पुत्रों का बंटवाडा विलेख अनुसार नाम दर्ज कर दिया गया।

ग्राम रोहिला भाण्डू की भूमियों के ख0नं0 32 एवं 58 के बाबत ना0क0सं0 34 दिनांक 21.06.1975 को दर्ज किया गया। किंतु राजस्व कर्मचारियों की गलती से उक्त ना0क0 के अनुसरण में इन भूमियों की अगली जमाबंदी में हरचन्द के स्थान पर खरताराम तथा खीयाराम का नाम दर्ज होने से रह गया व पुनः हरचन्द का ही नाम दर्ज हो गया। जिस कारण हरचन्द के देहान्त पर उनके स्थान पर उनके समस्त वारिसान का नाम दर्ज कर दिया गया। अगर ना0क0सं0 34 की पालना में उक्त दोनो खसरान की जमाबंदी में खीयाराम तथा खरताराम का नाम दर्ज कर दिया जाता तो आगे किसी प्रकार का विवाद नही रहता। इससे स्पष्ट है कि उक्त दोनो खसरान में हरचन्द के देहान्त के पश्चात उनके चारों पुत्रों का नाम ना0क0सं0 34 की पालना में जमाबंदी में संशोधन नही करने से आया है। ऐसी स्थिति में हरचन्द के देहान्त के उपरांत दर्ज ना0क0सं0 64 से उनके अन्य दो पुत्र गोकुलराम तथा जयरूपराम को इन भूमियों बाबत कोई खातेदारी अधिकार उत्पन्न नही होते है। क्योंकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि ना0क0 की कार्यवाही मात्र फिसकल कार्यवाही है, जिससे अधिकारों का निस्तारण नही होता है। विधि अनुसार हरचन्द द्वारा निष्पादित बंटवारा से ही उक्त भूमियों के खातेदारी अधिकार उनके पुत्रों में अलग–अलग निहित हो गये थे।

प्रत्यर्थीगण को इसकी जानकारी होने पर उपखण्ड अधिकारी लूणी के समक्ष राजस्व केम्प में लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दुरूस्ती का आग्रह किया गया। जिसकी जांच रिपोर्ट में प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्य सही पाये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्ष 1975 में भूलवश ख0नं0 32 एवं 58 के राजस्व रेकर्ड में हुई अशुद्धि को दुरूस्त करने हेतु ना0क0सं0 34 के अनुसार राजस्व रेकर्ड में खातेदारान का नाम दर्ज करने तथा खरताराम एवं खींयाराम के फौत हो जाने से उनके वारिसान का नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। जो विधिसम्मत होने से इसे खारिज कराने का कोई आधार अपीलार्थीगण के पास नही है। उक्त ना0क0सं0 34 तथा बंटवाडों को हरचन्द के पुत्रों द्वारा अपने जीवनकाल में कभी चैलेन्ज नही किया गया व सभी इससे सहमत रहे।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

वर्तमान में भूमि की कीमत बढ जाने मात्र से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है तथा उक्त अपील प्रस्तुत करने तक अपीलार्थीगण द्वारा ना0क0सं0 34 को चैलेन्ज नही किया गया। जहां तक अपीलार्थीगण का यह अभिकथन है कि आलौच्य आदेश पारित करने से पूर्व उसे नही सुना गया, तो अपीलीय न्यायालय समस्त तथ्यों तथा रेकर्ड को देखते हुए गुणावगुण पर निर्णय करने में सक्षम है। अपीलार्थीगण द्वारा वर्ष 1975 में हुए बंटवाडों को चैलेन्ज करते हुए एक वाद सहायक कलेक्टर लूणी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है, जहां पर उनके हक–अधिकारों का निस्तारण होना है। अपीलार्थीगण द्वारा नियमित वाद प्रस्तुत कर दिये जाने से भी उक्त अपील निरस्त योग्य है। अतः अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत होने से अपील अपीलांट खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उसके संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार प्रकट है कि आलौच्य प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत प्रतीत होने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

उभय पक्ष द्वारा लिखित अभिकथनों में यह भी प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा वादग्रस्त ना0क0सं0 34 एवं मृत्तक खातेदार हरचंद द्वारा निष्पादित बंटवाडों को लेकर पृथक से चुनौति दे दी गई है, अतः इस स्थिति में भी उक्त अपील औचित्यहीन प्रतीत है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही पायी जाने से तद्नुसार खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी लूणी (जोधपुर) द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 344ए/2021 बअनवान हीराराम वगैरा बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 23.10.2021 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15-5-26. को खुले न्यायालय सुनाया गया।

15/5/26.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर